(यह प्रति लेल्य-पत्र पेश करने वाले आवेदन पत्र पेश करने वाले अपने पास रहने देंगे) (प्राप्त हुई फीस के लिए रसीद) 1. पेश करने वाले या आवेदन देने वाने का नाम 2. लेब्य-पन की किरम 3. विवरण भीस जो प्राप्त हुई : 📆 🦽 4. प्रतिफल की रकम क. फीस रजिस्टी: (1) साधारण फीस रजिस्ट्री (2) लेख्य-पत्र की पूस्तक में प्रतिलिपि करने की फीस (3) धारा 64 से 67 के अनुसार ज्ञापन जारी करने की फीस ख. घारा 57 के अनुसार प्राथियों के प्रविष्ट लेखों की प्रतिलिगी। देने की फीस ग. विविध फीस: (1) साधारण अथवा विशेष अधिकार-पत्र प्रमाणीकरण धारा 62 के अनुसार अनुवाद प्रस्तुत करने को फीस (3) धारा 25 व 34 के अनुसार देर से लेख्य-पत्र प्रस्तुत होने अथवा सम्पादनकर्ता इत्यादि के उपस्थित के कारण चुकाई हुई फीस कमीशन तथा घर जाने की फीस तथा भत्ता (5) रजिस्ट्रार द्वारा रजिस्ट्री करने पर अतिरिक्त फीस (6) संरक्षरण फीस (7) मोहरबंद लिफाफे (जिसमें वसीयत-पत्र रखा हो) को अमानत रखने, वापिम लेने अथवा खोलने की फीस (8) पुस्तक का निरीक्षण अथवा तलाशी की फीस (१) अन्य विविध प्रकार की आय (जिसकी रद्दी पदार्थों की बिकी इत्यादि की आय सम्मिलित है) फीस के प्राप्त होने की तारीकि 4-5-20/2 लेख्य-पत्र या प्रतिलिपि तलाश सर्टिफिकेट पाने के हस्ताक्षर और लौटाये जाने या पाने की तारीख

जिला उदयप्र (राज)

रजिस्टी करने बाले अफसर के हस्ताक्षर



विकय पत्र तादादी 1,20,000/- रूपया स्टाम्प कीमती 1000/- रूपया

यह विकय पत्र आज दिनांक 24/05/2013 ई० को निम्न पक्षकारान् के मध्य मावली में निम्न प्रकार निष्पादित किया गया :-

विकेताः-

- 1. श्री शम्भुदास पिता श्री लालदास जी जाति वैरागी उम्र 40 वर्ष निवासी मावली तह० मावली जिला उदयपुर (राज.)
- 2. श्री दिनेशदास पिता गमेरदास जी जाति वैरागी उम्र 30 वर्ष निवासी गोविन्दनगर, बी-7 कांकरोली जिला राजसमन्द (राज.)

---प्रथमपक्षकार

श्री संजयकुमार पिता श्री भंवरलाल जी मृत्दडा जाति माहेश्वरी उम्र बालिग निवासी मावली तह0 मावली जिला उदयपुर (राज.)

दिनेश

यम्बर्ग

-- द्वितीयपक्षकार

(TX = 33) ...2

छप पंजियक, मावली जिला उदबपुर (राज) नम राक्या ... 163 हाता ... 1000 के नमा ... 1000 के नमा ... जिला का नमा ... जिला की नमान ... जिला ..

माज दिनाक _ 20 माह _ 5 सन् _13 क'
___ बजे से ____ बजे के मध्य उप बंजियक, मावली
के कार्यालय में श्री/श्रीमती ___ द्यार कुछ दास्म

पुत्र/पत्नि श्री ____ स्मार द्यार प्रमि जाति _ द्यार मिन अगु क्र व्यवसाय च्यापाप किया गया।
२० स्मार किया गया।
२० स्मार किया गया।
२० स्मार किया गया।
२० स्मार किया गया।

4. शंजरद्री शुल्क 1228 2. प्रतिलिपि शुल्क 614 3. कमी. स्टाम्प/जान्य 5137 4. प्रयोकन शुल 3.00 व्यस जाग 7219 रतीय रोज्या 73.51/3 दिनांक जमा 245/3

उप पंजियक, मावली

स्टाम्प ड्यूटी प्रभाण-पत्र यह पृष्ठांकन किया जाता है कि स्टाम्प ड्यूटी की अतिरिक्त देव संशि क. 5137. रसीद संख्या 735119 दिनांक 24.5:13 से प्राप्त की गई है, अतः अब उत्रत दसावेज कुल क. 6137 के स्टाम्प पर निष्पादित. माना जायेगा।

उप पंजियक, मावली



यह कि प्रथमपक्षकार के स्वामित्व एवं आधिपत्य की आवासीय भूमि मोजा मावली पटवार हल्का मावली, तहसील मावली जिला उदयपुर (राज0) में स्थित है जिसके आराजी संख्या 1871 रकबा 1 बीधा 17 बिश्वा में से 1 बीधा 10 बिश्वा कुल किता 1 रकबा 1–10 बीधा यानि की 2429 वर्गमीटर भूमि का आवासीय प्रयोजनार्थ रूपान्तरण का संपरिवर्तन आदेश कार्यालय तहसीलदार मावली जिला उदयपुर (राज0) द्वारा जरिये कमांक एफ (36) रीडर/ भू.रू./प्राम./2013/72 दिनांक 13.03.2013 को श्री शम्भुदास पिता श्री लालदास जी जाति वैरागी उम 40 वर्ष निवासी मावली तह० मावली जिला उदयपुर (राज.) एवं श्री दिनेशदास पिता गमेरदास जी जाति वैरागी उम 30 वर्ष निवासी गोविन्दनगर, बी–7 कांकरोली जिला राजसमन्द (राज.) के नाम से जारी किया गया जिसका चालान संख्या 904 दिनांक 25.02.2013 को चालान राशि 36530/— रूपया जमा करा दिया है। उपरोक्त आराजी प्रथमपक्षकार के नाम की 1–10 बीधा आबादी भूमि यानि 2429 वर्गमीटर आबादी भूमि है।

उक्त भूमि राजस्व ग्राम मावली पटवार हल्का मावली तह0 मावली जिला उदयपुर में स्थित है जिस पर विकेता प्रथमपक्षकार एवं अन्य खातेदारो ने मिलकर गोकुलधाम नामक आवासीय योजना बनाई, जिसमें सडक मार्ग की जगह छोडते हुए भूखण्डों की संरचना की है, जिसमें से प्रथमपक्षकार के हिस्से में आये आबादी आवासीय भूखण्डों को हस्तान्तरण एवं अन्तरण करने, दस्तावेज निष्पादित करने का मुझ प्रथमपक्षकार को पूर्ण हक व अधिकार है जिसके तहत इस विकय पत्र द्वारा आबादी आवासीय भूखण्ड संख्या 2-बी सम्पूर्ण 456 वर्गफीट एवं भूखण्ड संख्या 3-बी सम्पूर्ण 518 वर्गफीट इस प्रकार कुलिया 974 वर्गफीट है, जिसमें प्रथमपक्षकार को अपने परिवार की वैध आवश्यकता होने से उक्त भूखण्ड को द्वितीयपक्षकार को विकय हेतु प्रस्तावित किया।

यह कि उक्त वर्णित आवासीय भूमि स्टेट हाईवे एवं आबादी से 1 कि.मी. दूर तथा नगर परिषद् उदयपुर की सीमा से काफी दूर स्थित है, जिसमें बिजली, पानी, नाली की सुविधाएं अभी उपलब्ध नहीं है।

यह कि उक्त वर्णित आराजीयात नगर परिषद्, उदयपुर की सीमा से दूर तथा नगर विकास प्रन्यास की सीमा से बाहर होने से भूमि रूपान्तरण नियमों के तहत संबंधित खातेदारों ने आबादी में संपिरवर्तित कराने के लिये कार्यालय तहसीलदार, मावली के यहां आवेदन किया, जिस पर संबंधित अधिकारी, ने आराजीयात के सम्पूर्ण रकबे को आबादी में संपरिवर्तित किये जाने का आदेश जारी किए जिसका दाखिला राजस्व विभाग द्वारा किया गया है। ...3

उप पंजियक, मावली जिला उदयपुर (राज.)

2-

3-







भी अभ्दाराम डीठ लालाहामणी. विराजी कि आवली,




श्री/श्रामती विनेशादात
पुत्र/पत्नि. शी कामेनतान पर्न
नाति चिरामी आयु ८ व्यवसाय कापार्
िवाची कानरीती हारा तेख पत्र का निष्पादन
वारना स्वीकार किया एवं प्रतिकत रूपवा12000/-
शक्ते में एक त्यारन कीम हायार इपर्य
पूर्व में तथा शब्दों में
हमारे सामने पुष्टि करना
स्वीकार किया ।
स्टिन्छ। उप पंतियक, मावली
जिष्पादनकर्ता उप पंलियक, मावली

विवासी को श्री शिरियां जाति त्यावरी पुत्र श्री स्थानाशायमा जाति त्यावरी आयु ८० व्यवसाय स्थापार ने एवं निवासी श्री सिर्माय स्थापार ने एवं जाति त्योदर आयु ६० व्यवसाय विवासी श्री सिर्माय स्थापाय स्थापाय ने पहिंचाना। निवासी ने पहिंचाना।

Horist

उप पंजियक, मावली



यह कि उपरोक्त पेरा संख्या कि में बर्णित आबादी को आराजी प्रथमपक्षकार विकेता ने अपने नाम पर पट्टे जारी करा कर नक्शा मुताबिक मौके पर सडक मार्ग आदि की जगह को छोड़ते हुए सभी ने मिलकर भूखण्ड बनाये, तथा आराजी अनुसार भूखण्ड को बेचने को सड़कों का कोसिंग हो, समानता बनी रहें, तथा खरीदारों का अपना टाईटल मिलें, निर्माण स्वीकृति लैने एवं विविध संस्थानों से ऋण सुविधा लेने में आसानी रहे आदि आदि बिन्दुओं को ध्यान में रखते हुए एक बड़ा प्रोजेक्ट मिलकर बनाया गया है प्रथमपक्षकार के टाईटल में किसी प्रकार की कमी नहीं है। सारी कार्यवाहीयाँ विधिवत एवं नियमों के तहत हुई है।

यह कि भूखण्ड संख्या 2-बी सम्पूर्ण 456 वर्गफीट एवं भूखण्ड संख्या 3-बी सम्पूर्ण 518 वर्गफीट इस प्रकार कुलिया 974 वर्गफीट आवासीय होकर ग्राम मावली, तहसील मावली, जिला उदयपुर में स्थित है, जिसके पडौस निम्न प्रकार है:-

पूर्व : अन्य कृषि भूमि

पश्चिम : प्लानिंग का 30 फीट चौडा रास्ता

उत्तर : भूखण्ड संख्या 2-ए दक्षिण : भूखण्ड संख्या 3-ए

उक्त चारों पडोस के मध्य स्थित भूखण्ड सख्या 2-बी सम्पूर्ण 456 वर्गफीट एवं भूखण्ड संख्या 3-बी सम्पूर्ण 518 वर्गफीट इस प्रकार कुलिया 974 वर्गफीट जिसे इस विकय पत्र द्वारा आप द्वितीयपक्षकार को विकय किया जा रहा है। जो सलंग्न नक्शे में मय नाप एवं पडोसों के दर्शाया गया है तथा सुर्ख लाल रंग से मार्क किया गया है जो इस विकय पत्र का अभिन्न अंग रहेगा तथा माना जावेगा।

यह कि विकेता प्रथमपक्षकार उक्त पैरा सं. 5 में वर्णित नाप एवं पडोस का भूखण्ड मय हक-हकुक, निसार-पेसार, सुखाधिकारों एवं मालिकाना हक सहित तथा भुमितल से आकाश तक के हक, अधिकारों सहित आप केता द्वितीयपक्षकार को बिल एवज रूपया 1,20,000/- अक्षरे एक लाख बीस हजार रूपयों में विकय करना स्वीकार कर विकय मूल्य की कुलिया राशि नगद पूर्व में फर्दन फर्दन प्राप्त कर ली है। अब कोई राशि लेना बकाया नहीं है। रूपया प्राप्तिगी की अभिस्वीकृति वक्त रजिस्ट्री रूबरू सब रजिस्ट्रार साहब के समक्ष प्रथमपक्षकार विकेता कर दूंगा। उक्त भूमि का कब्जा आप द्वितीयपक्षकार को सौंप दिया। द्वितीयपक्षकार ने वास्तविक रूप से कब्जा पा लिया। इसके मृत्तलिक कुलिया कागजात आप द्वितीयपक्षकार को सौंप दिये। ...4

च्य पंजियक, मावली जिला बदवपुर (राज)

5-

6-







यह कि कुलिया रकम प्राप्त कर आँज दिनांक को विकय किए जा रहे भूखण्ड पर कब्जा आप केता को सिपुर्द कर दिया है। आज से आप केता विकेता के बजाय मालिक काबिज बन गए है, जिसको उपयोग उपभोग करे, लागत लगावे, निर्माण करावे तथा भविष्य में अन्य किसी व्यक्ति को रहन, बैह, बिसस करे एवं लाभ प्राप्त करें। साथ ही आज आप केता को संपरिवर्तन आदेश नक्शें की फोटोप्रति तथा सम्बन्धित आराजीयात के खरीद दस्तावेज की फोटो प्रति सिपुर्द कर दिये है। जो टाईटल के सबुत है।

यह कि इस विकय पत्र द्वारा आप केता सम्बन्धित ग्राम में आवेदन कर उक्त भूखण्ड अपने नाप पर अंकित करावे तथा, बिजली पानी के कनेक्शन लेवें तथा अन्य सुख सुविधाएं प्राप्त करे। केता आज के बाद लगने वाला टेक्स, शुल्क अदा करेगें।

यह कि प्रथमपक्षकार को उक्त भूखण्ड हर प्रकार से हस्तान्तरित करने के अधिकार प्राप्त है। इस पर किसी बैंक, सरकारी विभाग या वित्तिय संस्थाओं से ऋण सुविधा प्रथमपक्षकार ने नहीं ले रखी हैं, वर्तमान में इस पर कोई टेक्स नहीं लगता है। सिलिंग एवं शहरी सिलिंग कानून से मुक्त है। किसी भी सरकारी विभाग या न्यायालय में मामला विचाराधीन नहीं है। आज तारीख पूर्व उक्त विकीत भूखण्ड आप केता के अलावा अन्य किसी व्यक्ति को रहन, बैह, बक्षीस नहीं किया गया है और न ही किसी प्रकार का इकरार ही किया गया है। यानि हर प्रकार के ऋण एवं भार से मुक्त है।

यह कि आज दिनांक तक जो हक अधिकार प्रथमपक्षकार विकेता को प्राप्त थे वे सभी आज दिनांक से आप केता में निहित हो गए है। अब उक्त भूखण्ड में प्रथमपक्षकार का कोई हक एवं हिस्सा नहीं रहा है। आप केता संपरिवर्तन आदेश में दी गई शर्तो एवं निर्देशों की पालना करेगें। नक्शे में दर्शायी गई सडक की चोडाई प्रस्तावित है जो कि मौके पर विकेता की आराजीयात में से प्लान के अनुसार छोडी गई है। जिसके उपयोग उपभोग का अधिकार सभी केतागणों को है।

यह कि विकीत भूखण्ड का क्षेत्रफल पूर्णतः या आंशिक प्रथमपक्षकार के स्वामित्व, अधिपत्य या टाईटल की कमी के कारण या किसी कानूनी प्रक्रिया की कमी के कारण या अन्य व्यक्ति द्वारा उठाए गए उजर एतराजों के कराण आप केता के अधिपत्य से निकल गया या नुकसान उठाना पड़ा तो प्रथमपक्षकार अपने स्तर पर स्वयं के खर्च से निपटाएगा। आप केता को कोई नुकसान नहीं होने देगा।

उप पंजियक, मावली जिला चदमपुर (राज)

8-

9-

10-

11-

12-

यह कि इस विकय पत्र के निष्पादन में होने वाला समस्त व्यय, मुंदाक शुल्क, पंजीयन शुल्क, व वकील महनताना या अन्य शुल्क कुलिया प्रथमपक्षकार स्वयं ने वहन किया है।

13-

यह कि उक्त विकीत भूखण्ड पर किसी भी प्रकार का कोई वाद विवाद नहीं होकर न्यायालय के स्थगन आदेश से मुक्त है।

लिहाजा यह विकय पत्र आज दिनांक को प्रथमपक्षकार ने आप द्वितीयपक्षकार के हक में राजी खुशी स्वेच्छा से बिना किसी डर व दबाव के पूर्ण होश हवाश की अवस्था में, विकीत सम्पत्ती का भौतिक कब्जा सिपुर्द कर स्वथ्य चित्त, स्थिरबुद्धि, की अवस्था में सोच समझकर पढ, सुन कर निम्नलिखित साक्षीगण के समक्ष निष्पादित कर विकय पत्र पर अपने हस्ताक्षर कर दिये है जो सही सनद रहे बक्त जरुरत काम आवें।

दिनांक :

24.05.2013

स्थान :

मावली

ह० प्रथमपक्षकार

1174414







साक्षी

ושונונים מושר

1- श्री गिरिराज पिता श्री सत्यनारायण जी लावटी उम्र वयस्क निवासी मावली तह0

मावली जिला उदयपुर (राज०)


2- श्री निर्मल पिता श्री धर्मेशचन्द्र जी लोढा उम्र वयस्क निवासी मावली तह० मावली जिला उदयपुर (राज०) निर्मालक गाउल्मे ।

दिनांक :

24.05.2013

स्थान :

मावली





उप पोजयक, मावला जिला उदयपुर (राज्)




पजीयन का प्रमाण-पत्र

आज दिनांक <u>24</u> गर्ड 5 सन् 13 को पुस्तक संख्या <u>८</u> के पुष्ठ संख्या <u>८</u> क्रम संख्या क्रम संख्या <u>८</u> क्रम संख्या <u>८ क्रम संख्या क्रम</u>

उप पंजियक, माधली

विकीत भूमि का फोटो





दिनांक :

24.05.2013

स्थान :

मावली दिनेश

ह० प्रथमपक्षकार



उप पाजियक, मावली जिला उदयपुर (राज.)

फार्म बी देखिये नियम 9 (3) (4) और (6) कार्यालय तहसीलदार मावली जिला उदयपुर (राज.)

) रीडर/भू रू./ग्रा./13/72

दिनांक:-13/3/2013

-: संपरिवर्तन आदेश :-

शम्भुदास पिता लालदास वैरागी निवासी मावली तह0 मावली, दिनेशदास पिता गमेरदास वैरागी निवासी गोविन्दनगर बी-7 करोली जिला राजसमन्द के प्रार्थना पत्र पर उसकी खातेदारी अभिघृति में धारित कृषि भूमि को नियम 9 के अन्तर्गत राजस्थान भू-राजस्व (ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि भूमि का अकृषि प्रयोजन के लिए संपरिवर्तन) नियम 2007 के संशोधित नियम 2012 के अन्तर्गत

	जिन के लिए इसके द्वारा संपरिवर्तन किया जाता है। जि			
	आवेदक खातेदार अभिधारी का नाम, पिता/पित के	श्री शम्भुदास पिता लालदास वैरागी निवासी मावली तह0		
	नाम सहित तथा पूरा पता	मावली, दिनेशदास पिता गमेरदास वैरागी निवासी गोविन्दनगर		
		बी-7 कांकरोली जिला राजसमन्द		
3	क्या आवेदक अनुसूचित /जनजाति का सदस्य है।	सामान्य		
	संपरिवर्तन की जाने वाली भूमि का ब्यौरा	ग्राम मावली ग्राम पंचायत मावली तहसील मावली		
	⊢ ग्राम / ग्राम पंचायत / तहसील का नाम			
	2- भूमि का खसरा नं. और प्रत्येक खसरा संख्या का	आ.नं. 1871 रकबा 1.17 बीघा में से 1.10 बीघा किता 1		
	क्षेत्रफल (हेक्टर/व.मी.में)	रकबा 1.17 बीघा में से 1.10 बीघा		
	3 प्रत्येक खसरा संख्या (क्षेत्रफल को उपदर्शित करते	आ.नं. 1871 रकबा 1.17 बीघा में से 1.10 बीघा किता 1		
	हुए संपरिवर्तन (क्षेत्रफल हेक्टर / वर्गमीटर में)	रकबा 1.17 बीघा में से 1.10 बीघा यानि 2420 वर्गमीटर		
(टिप्प	टिप्पणी अकृषि प्रयोजन के लिये संपरिवर्तित भूमि को दर्शाते हुए राजस्व नक्शे के सुसंगत भाग की सम्यक रूप से सत्यापित			
	प्रति संलग्न है)			
4	संपरिवर्तन का प्रयोजन	आवासीय		
5	संदेय प्रिमीयम की दर	5/-रु. प्रति वर्गमी. या डी.एल.सी. दर का 5 प्रति. या रजिस्टर्ड विकय पत्र की खरीद दर अनुसार जो तीनों में से		
		अधिक हो		
6	चालान की संख्या तथा तारीख सहित जमा कराई गई	मद 0029 चा.सं. 904 दिनांक 25.02.2013		
	प्रिमीयम की रकम	भू-राजस्व राशि 36530/-रू.		
		कुल योग 36530 / - रू.		
1	— के नंना कार स्थान समित सावित सावित सावित	नहीं		
7	चालान का संख्या तथा ताराख साहत शास्त, याद	101		
7	चालान की संख्या तथा तारीख सहित शास्ति, यदि कोई हो, की जमा कराई गई रकम			
	कोई हो, की जमा कराई गई रकम			
7	कोई हो, की जमा कराई गई रकम चालान की संख्या तथा तारीख सहित ब्याज यदि कोई हो की जमा कराई गई रकम	नहीं		
	कोई हो, की जमा कराई गई रकम चालान की संख्या तथा तारीख सहित ब्याज यदि कोई हो की जमा कराई गई रकम			
8	कोई हो, की जमा कराई गई रकम चालान की संख्या तथा तारीख सहित ब्याज यदि कोई	नहीं		

11.उपर्युक्त संपरिवर्तन आदेश निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन होगा :--

1. उपर्युक्त अकृषि प्रयोजन के लिये संपरिवर्तित भूमि का उपयोग विहित प्राधिकारी की पूर्व अनुमित प्राप्त किये बिना किसी अन्य प्रयोजन के लिये नहीं किया जायेगा।

यदि आवेदक इस आदेश के जारी होने की तारीख से 5 वर्ष की कालाविध के भीतर संपरिवर्तित प्रयोजन के लिये भूमि का उपयोग करने में विफल रहता है तो अनुज्ञा प्रत्याहूत कर ली जायेगी और आवेदक द्वारा जमा कराया गया प्रिमीयम धन सम्पह्त हो

नियम-4 में यथा वर्णित भूमि का उपयोग अन्य अकृषि प्रयोजन के लिये नहीं किया जायेगा। उक्त संपरिवर्तन भूमि जिस प्रयोजन के लिये संपरिवर्तित की गई है उस भूमि के किसी भाग का अन्य किसी अकृषि प्रयोजन के

लिये उपयोग विहित प्राधिकारी से विधि मान्य अनुज्ञा प्राप्त किये बिना नहीं किया जायेगा। निर्धारित सड़क मार्गाधिकार नेशनल रोड़ कांग्रेस एवं भूतल परिवहन मंत्रालय के निर्देश एवं राज्य सरकार के सार्वजनिक निर्माण विभाग के निर्देश अनुसार राष्ट्रीय राजमार्ग/राजमार्ग/अन्य मार्ग से कमशः 40/5.5/20 मीटर एवं ग्रामीण सड़क से निर्धारित दूरी छोड़ कर ही कार्य कर सकेगें। नजरी नक्षा अनुसार प्रस्तावित रास्ता अभिलेख में पुख्ता दर्ज कराने का उत्तरदायित्व आवेदक

6. भविष्य में यदि किसी प्रकार की राजस्व आदि देय होने पूर्व पूर्वि जुमा कराने हेतु बाध्य होगा । 7. जिस प्रयोजनार्थ भूमि संपरिवर्तित की जा रही है जिसके विषे प्रार्थी का संबंधित विभाग स्थानीय निकाय से अनापतित/ स्वीकृति

आदि प्राप्त करना अनिवार्य होगा।

1. जिला कलक्टर महोदय, उदयपुर की सेवामें सूचनाथ 3. सरंपच, ग्राम पंचायत भीति

5. प्रार्थी अम्भुदास पिता लालदास वैरागी नि. मावली, दिनेशदास पिता गमेरदास जी वैरागी निवासी गोविन्दनगर बी—7 कांकरोली

2ap1 ाहसीलदार-मावली लबसीलदसदसम्बला जिला उदयपुर

तहसीलदार मावली जिला उदयप्र

2. तहसील राजस्व लेखाकार,मावली

4 पटवारी हल्का मावली

